फर्द अहकाम

लालाराम बनाम बद्रीनारायण वगै.,

नाम न्यायालय AC-II

केस संख्या T.A.No. - 209/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित। वकील प्रार्थी जवाब टीआई पेश करने हेतु समय चाहते है जबकि पूर्व में अनेक अवसर दिये जा चुके है अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब टीआई का अवसर बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी संख्या 1 की बहस टीआई पर सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 2 से 3 के विरूद्व पूर्व पेशी पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत् तकासमा हेतु पेश किया गया है मूलवाद का निस्तारण तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात अनुसार किया जाना है। चूंकि प्रार्थी द्वारा मौके पर निर्माण का अनुतोष चाहा गया है ऐसे में मूलवाद के निस्तारण तक बाहुल्यता को रोकने हेतु निर्माण की हद तक उभयपक्ष को पाबंद किया जाना न्यायेाचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 734, 736 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8900 हैक्टेयर वाकै ग्राम लूनियावास पटवार हल्का लूनियावास भू0अ0नि0 क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित पर निर्माण कार्य न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें। निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।	